न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारीः नन्दकिशोर राजोरा, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्याः 13/2022

जीसीएमएस संख्याः 2022/76

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट
1. डूँगरराम पुत्र भीकाराम		1. छैलाराम पुत्र कुनाराम
2. छैलाराम पुत्र भीकाराम		2. पारीदेवी पुत्री कुनाराम
3. माधूराम पुत्र भीकाराम		3. बालाराम पुत्री कुनाराम
4. राधेश्याम पुत्र भीकाराम		4. शिवलाल पुत्र कुनाराम
5. सुआ पत्नि भीकाराम		5. सोनीदेवी पुत्री कुनाराम जाति जाट, निवासी रेन्दडी तहसील सोजत जिला पाली
6. गटू पुत्री भीकाराम		
7. भपू पुत्री भीकाराम		
8. मूलाराम पुत्र भूराराम		6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सोजत।
9. मेहनलाल पुत्र भूराराम		
10 गीता पुत्री भूराराम		
11. तीजा पुत्री भूराराम		
12. सुन्दर पुत्री भूराराम		
14. सीता पुत्री भूराराम जाति मेघवाल, निवासी– रेन्दडी, तहसील–सोजत, जिला–पाली		
15. कमला पत्नि घेवरराम, जाति सरगरा, निवासी आलावास, तहसील सोजत जिला पाली		

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

श्री अर्जुन सिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री चन्द्रप्रकाश वैष्णव, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

–:निर्णयः–

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

दिनांकः– 26.12.2022

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 30 / 2021 बउनवान छैलाराम बनाम डूँगराराम में पारित आदेश दिनांक 28.10.2021 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

पत्रावली में पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.10.2021 को अपास्त कराने के लिए अपील दिनांक 17.02.2022 को न्यायालय हाजा में करीब 04 माह पश्चात् प्रस्तुत की गयी है। रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता ने इस पर आपत्ति व्यक्त करते हुए अपील को म्याद बाहर होना बताते हुए अपील खारिज कराने का निवेदन किया। जहां तक म्याद का प्रश्न है तो इस संम्बन्ध में विभिन्न प्रकरणों में तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण की परिस्थितियों पर म्याद को अवधारित किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मंडल द्वारा आर. आर. टी. 2004(2) पेज 698 में प्रतिपादित किया कि पक्षकारों के अधिकार मेरिट पर निर्णित करने चाहिये– तकनीकी आधारों पर पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं करना चाहिये। उभयपक्षो की दलीलों एवं प्रकरण में निहित न्याय के सारभूत प्रश्नों के विनिश्चय हेतु अपील प्रस्तुत करने हुई देरी को कण्डोन किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। तद्नुसार अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को स्वीकार किया जाता है, तथा अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से 05 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी ग्राम रेन्दडी के खसरा नम्बर 65 में आवागमन हेतु अपीलाण्ट के खसरा नम्बर 71 व 66 में से नया मार्ग प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्ययालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। रेस्पोडेण्ट के पिता के नाम पुराना खसरा नम्बर 212 दर्ज थी। द्वितीय सेटलमेंट में रेस्पोडेण्ट के पिता ने अपने भाई बालूराम व लाभूराम पिसरान सादूलराम के साथ रेस्पोडेण्ट के पिता के नाम नया खसरा संख्या 65 की भूमि अपने पास रखी तथा खसरा संख्या 64 की भूमि अपने भाई बालूराम के नाम तथा खसरा नम्बर 63 की भूमि लाभूराम के नाम दर्ज की। उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 63, 64, 65 पर आने जाने के लिए प्रथम रास्ता रेस्पोडेण्ट नये खसरा नम्बर 94 गैर मुमकिन सड़क से खसरा नम्बर 61 व

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

62 के मध्य से होकर आगे खसरा नम्बर 61 व 62 के मध्य से होकर आगे खसरा नम्बर 57 व 62 के मध्य माठ माठ होकर आया जाता है। उक्त रास्ते का उपयोग व उपभोग रेस्पोडेन्ट व उनके परिवार वाले कदीम से करते आ रहे है। तथा रेस्पोडेण्ट के खेत में आने जाने हेतु दूसरा रास्ता खसरा नम्बर 55 व 56 के मध्य माठ माठ आया जाता है। मौके पर खसरा संख्या 71 व 66 में से होकर कोई रास्ता नहीं है न ही पूर्व में कभी रास्ता था। अधीनस्थ न्यायालय ने आर0 आई0 द्वारा प्रस्तुत एकपक्षीय मौका रिपोर्ट को ही सही मानकर अपीलाधीन आदेश जारी कर दिया गया है। जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेण्ट की खातेदारी भूमि में आवागमन के मार्ग का अभाव होने के कारण रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से 05 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से जो रिपोर्ट तलब की गई, उसमें तहसीलदार द्वारा यह स्पष्ट अंकित किया कि रेस्पोडेण्ट की खातेदारी भूमि में आवागमन का अभाव है तथा रेस्पोडेण्ट को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लघुतम मार्ग, जो कि अपीलाण्ट की खातेदारी में से होकर था, को रास्ते हेतु रेस्पोडेण्ट को प्रदान कराने का आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेण्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बतौर प्रार्थी एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा '251ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी ग्राम रेन्दडी के खसरा नम्बर 65 में आवागमन हेतु अपीलाण्ट के खसरा नम्बर 71 व 66 में से नया मार्ग प्रदान कराने का अनुतोष चाहा। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार सोजत भू0 अ0 निरीक्षक व पटवारी से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व तहसील कार्यालय के पंत्राक 255 दिनांक 25.10.2022 के जरिये समस्त पक्षकारान् को मौके पर उपस्थित रहने हेतु नोटिस जारी किए गए, जारी किए गए नोटिसो को अपीलाण्ट द्वारा लेने से इन्कार किया गया। तत्पश्चात भू0 अभिलेख निरीक्षक व पटवारी द्वारा उपस्थित मौतबिर एवं पक्षकारान् के मौका रिपोर्ट दिनांक 26.10.2022 को तैयार की गई। तैयार मौका रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा पंत्राक / राजस्व / 2021 / 4256 दिनांक 26.10.2021 से अधीनस्थ न्यायालय में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रेषित किया गया। जिसमें प्रस्तावित रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता, वैकल्पिक मार्ग का अभाव एवं प्रस्तावित रास्ता सुविधा के लिए नहीं होना अंकित किया गया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये रास्ता प्रदान करने का अनुतोष दिया गया है, जो विधि सम्मत है। इस धारा में "आत्यांतिक आवश्यकता" एवं "वैकल्पिक मार्ग का अभाव" ही वह कसौटी है, जिस पर खरा उतरने पर ही नये रास्ते की कायम के आदेश दिये जाना युक्तियुक्त एवं न्यायसंम्मत होंगे। इसका तात्पर्य यह है खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए कहीं कोई रास्ता उपलब्ध न होना। धारा 251ए सुविधाजनक रास्ते को कायम करने का प्रावधान नहीं करती है। हस्तगत प्रकरण में रास्ते का अभाव एवं वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध हुआ है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रृटि नहीं पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर सोजत द्वारा बमुकदमा संख्या 30 / 2021 बउनवान छैलाराम बनाम डुंगराराम में पारित आदेश दिनांक 28.10.2021 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 26/12/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली